IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, May 2024

अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. सुनीता जैन

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

स्व. दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

शोध सारांश–

हमारे देश में अनुसूचित जाति को समाज की जाति व्यवस्था के क्रम में सबसे निम्न क्रम में रखा गया। उसी के अनुसार उस जाति को समाज में सम्मान एंव सुविधाएं भी प्राप्त हैं इन जातियों का स्थान आरक्षण व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बनाकर इसको समाज की मुख्य धारा में जोडने का प्रयास किया जा रहा हैं। प्रस्तुत पेपर में इस जाति की वर्तमान समय की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण विभिन्न आधारों पर शोध के माध्यम से किया गया। इनमें लिंग,व्यवसाय, शैक्षिक स्तर,मांसाहारी भोजन,संचार के साधन नशा सेवनकर्त्ता आदि विषयों पर स्थिति का वर्णन किया गया। भारतीय समाज जाति पर आधारित स्तरीकरण वाला समाज है, इस ऊँच–नीच अथवा संस्तरण में सबसे निम्न स्थान अस्पृश्य जातियों का रहा है। इन पर अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक निर्योग्ताएँ लगी हुई थीं। हिन्दू धर्म के अनुसार 'उच्च' जाति का कोई व्यक्ति किसी भी अस्पृश्य के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध नही रख सकता था।

मुख्य शब्द – अनुसूचित जातियों, आरक्षण, सामाजिक, आर्थिक, अस्पृश्यता आदि।

परिचय –

भारत में अस्पृश्य जातियों को अनेक नामों से पुकारा जाता हैं। जैसे– अछूत, दलित, हरिजन आदि इन्हें छूने से उच्च जातियों के व्याक्ति अपने को अपवित्र मानने लगते थे, और पुनः पवित्र होने के लिये सांस्कारिक शुद्धि करते थे। कुछ अछूत अस्पृश्य थे तो कुछ अदर्शनीय थे अर्थात् जिनको देखने मात्र से व्याक्ति अपने को कलुषित मानने लगते थे, और कुछ अप्रवेश थे, जिन्हें कुछ निश्चित स्थानों पर प्रवेश की मनाही थी। इन्हें बहिष्कृत जाति भी कहा जाता रहा है। गाँधी जी के प्रयासो से इन्हें 'हरिजन' कहा जाने लगा सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हेय जातियों के उत्थान तथा उन्हें कुछ विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये 1935 के एक्ट में ऐसी जातियों की एक सूची बनाई गई। इस सूची में सम्मिलित सभी जातियों को बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। अनुसूचित जातियों के लोग सदियों से आर्थिक दृष्टि से निम्नतम् कार्यो में लगे हुये थे अस्पृश्यों पर व्यावसायिक निर्योग्यता लादी जाती थी अर्थात् जो उनके पूर्वज काम कर रहे होते थे, उन्हें उसी कार्य को करने के लिये बाध्य किया जाता था। अनुसूचित जातियों की सम्पत्ति सम्बन्धी नियो ग्यता को मान्यता दी गई थी। अस्पृश्यों के साथ भरपेट भोजन की भी सुविधा नहीं थी, उनका अर्थिक शोषण होता था। इनकी सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यता से ही दुःखी होकर आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन चलाया। भारत की परम्परागत संरचना से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं में निम्न जातियों का अमानवीय शोषण एक लम्बे समय तक हमारी गम्भीर समस्या रही हैं, जो हिन्दू समाज का अंग होने के बाद भी हिन्दुओं के कुछ धार्मिक ग्रन्थों के दिये गये निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे है।

भारत की जनसंख्या का आधे से भी अधिक भाग उन जातियों से सम्बन्धित रहा जिन्हे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में उच्च जातियों की तुलना में बहुत कम अधिकार दिये गये हैं। अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, May 2024

धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिये सरकार ने पहले कदम के रुप में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम,1995 पास किया और अस्पृश्यता से सम्बन्धित सभी तरह के आचरणों को अपराध घोषित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से सम्बंधित किसी भी तरह के आचरण का उन्मूलन कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितो की रक्षा से सम्बन्धित प्रावधान किया गया हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में संघ या राज्य के कार्यो से संबन्धित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियॉ करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 में कृमशः लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों की आरक्षण सम्बंधित व्यवस्था की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 एवं 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया हैं। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटो में से 79 और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित रखी गई है। अनुच्छेद 341 के द्वितीय खण्ड में संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विज्ञापित इस सूची में किसी जाति,प्रजाति या जनजातियों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

आज भारत में सभी के विकास तथा अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिये अनेक योजनाऍ केन्द्र एवं राज्य स्तर पर चलाई जा रही है इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य यह है कि प्राचीन काल से ही अनुसूचित जातियों का अमानवीय शोषण एवं अन्याय हुआ हैं। जिसके परिणाम स्वरुप वे वर्तमान में पिछडे हुए है पिछडेपन के कारण समाज की मुख्य धारा में जुडने के लिए विशिष्ट प्रकार का संरक्षरण एवं संर्वद्धन तथा गैरसरकारी संगठन द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन आज भी ग्रामों में अनुसूचित जातियों को एक कलंक के रुप में देखते है।

और धर्म की आड में फलने वाली परम्पराओं की जडे इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें समूल नष्ट करने में कुछ समय लगता है यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अनुसूचित जातियों की समस्याएँ आज भी बनी हुई है। जैसे– सामाजिक विभेद की, उच्च जातियों द्वारा शोषण, हरिजन महाजनों द्वारा शोषण, आन्तरिक असमानता, अर्न्तजातीय तनाव, अशिक्षा एवं नशीले पदार्थो की समस्या। हमारे भारतीय समाज में जहाँ अनेक जातियों एवं धर्मों के लोग निवास करते है। वही अनुसूचित जातियों को भी समानता के साथ जीने का अधिकार है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये ''अनुसूचित जातियो ं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति '' के बारे में गहराई से अध्ययन की अवश्यकता हैं। जिससे इसके प्रभाव व परिणाम की दिशा के प्रति सचेत एवं जागरुक किया जा सकेगा प्रस्तुत अध्ययन इसी में किया गया एक प्रयास है।

उद्देश्य –

1. अनुसूचित जाति के लोगों की सामुदायिक संरचना का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति के परिवारों में पारम्परिक व्यवसायों की पहचान करना।
3. अनुसूचित जाति के लोगों में रोजगार के अवसरों की सम्भावनाओं तथा उन सामाजिक परम्पराओं की पहचान जो वर्तमान में अप्रासांगिक है।
4. उन कारणों का पता लगाना जो अनावश्यक व्यय हेतु उत्तरदायी है।
5. अनुसूचित जाति में प्रवजन के कारणों का पता लगाना।

आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन–कौन सी योजनाएँ इन तबकों के लिये हैं इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती है जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, May 2024

गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवनयापन कर रहा है। माँ–बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा–लिखा नहीं पाते हैं तथा पैसे के लिये उन्हें बड़े–बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते हैं। लिहाज़ा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। रही बात लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। दरअसल जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है।

धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजातियों के अपने अलग देवी–देवता होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार। अगर हम थोड़ा पीछे जायें तो पाते हैं कि इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था; सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। आज भी इनकी स्थिति ले–देकर यही है। यही सब पहलू हैं जिसके कारण जनजातियाँ आज भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं का हल ढूंढने के लिये सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा करना मुनासिब होगा।

निष्कर्ष –

भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। ये जनजातियाँ पूरे देश में फैली हुई हैं और विविधतापूर्ण हैं, प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी संस्कृति और भाषा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में जनजातीय मुद्दे बढ़े हैं और बहुत सी जनजातियों ने अपने पारंपरिक जीवन–शैली को त्याग दिया है और आधुनिक दुनिया के तौर–तरीकों को अपनाया है। इसके कारण भारत में बहुत सी जनजातियों को गरीबी से लेकर बेरोज़गारी तक की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज, कई जनजातियाँ खुद को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील पा रही हैं। इसने उनके जीवन–शैली पर विनाशकारी प्रभाव डाला है और इसने कई जटिल प्रश्न खड़े किए हैं कि देश को किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

सुझाव –

1. अनुसूचित जातियों में ज्यादातर लोगो के पास कृषि योग्य भूमि नही हैं अतः उनके जीवन यापन के लिये कृषि योग्य भूमि की अवश्यकता हैं।
2. अनुसूचित जातियों में नवीनतम् व्यवसाय एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अवश्यकता है।
3. कृषि उत्पादकता को बढाने के लिये कृषि वैज्ञानिको के द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अवश्यकता हैं।
4. अनुसूचित जातियों में नशा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक करने की अवश्यकता हैं।
5. ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने की अवश्कता है।
6. अनुसूचित जातियों के लोगो में शिक्षा के प्रति जागरुक करने की अवश्यकता है।
7. अनुसूचित जातियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और जागरुक करने की आवश्यकता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, May 2024

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओझा. एन.–भारत की सामाजिक समस्याएँ, क्रॉनिकल पब्लिकेशन ,2008, पृ.क. 229, 223
2. अग्रवाल गोपाल कृष्ण–भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएँ, साहित्य भवन, 2006, पृ.कृ. 88,91
3. आहूजा राम–सामाजिक समस्याएँ,राव पब्लिकेशन, 2007, पृ.क.160
4. अग्रवाल एवं दीक्षित–भारत में समाज कल्याण एंव अधिनियम, एस.बी.पी.डी. पब्लिसिंग हाउस, 2009, पृ.क. 52,53
5. गुप्ता एम. एल. ,शर्मा डी. डी.–भारतीय सामाजिक समस्याये ं, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, 1988, पृ.क282, 283,284
6. मुकर्जी रवीन्द्रनाथ–सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन 2000 पृ.क. 374
7. पाण्डेय चन्द्रभूषण–सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी बी. एस. शर्मा एण्ड ब्रदर्स,2006, पृ.क. 10–16 पत्रिका–'' अब भी पहचाने गांधी को'' लेखक शरद कुमार साधक।